

प्र.का. 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली – 110 607
Head Office : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607

असाधारण आम बैठक
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

दिनांक शनिवार 2 जनवरी, 2016
समय पूर्वाह्न 10.00 बजे

DATE: SATURDAY, THE 2ND JANUARY, 2016
TIME: 10.00 A.M.

स्थान :

पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम,
केन्द्रीय स्टॉफ कॉलेज,
8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स,
दिल्ली – 110054

Venue:

PUNJAB NATIONAL BANK AUDITORIUM,
CENTRAL STAFF COLLEGE,
8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES,
DELHI-110 054

विषय वस्तु
CONTENTS

पृष्ठ सं०
Page No.

सूचना NOTICE	1
व्याख्यात्मक कथन EXPLANATORY STATEMENT	2
घोषणा DECLARATION FORM	11–12
नामांकन फार्म NOMINATION FORM	13
व्यक्तिगत सूचना PERSONAL INFORMATION	14
प्रॉक्सी फार्म PROXY FORM	18
उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास सह मतदान पत्र पास ATTENDANCE SLIP CUM ENTRY PASS	20

कार्यक्रम की महत्वपूर्ण तिथियां
IMPORTANT CALENDER OF EVENTS

असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के नामांकन करने/चुनाव लड़ने की पात्रता का पता लगाने के लिए कट ऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders to Nominate/Contest elections	शुक्रवार 27 नवम्बर, 2015 Friday, 27 th November, 2015
नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि Last date for receiving nominations	शुक्रवार 18 दिसम्बर, 2015 Friday, 18 th December, 2015
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि Last date for withdrawal of nominations	शनिवार 19 दिसंबर, 2015 Saturday, 19 th December 2015
असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों के लिए वोटिंग एवं ईजीएम में उपस्थित होने की पात्रता का पता लगाने के लिए कट ऑफ तिथि Cut-off date for ascertaining the entitlement of shareholders for voting and attending EGM	शनिवार 26 दिसंबर, 2015 Saturday, 26 th December 2015
ई-वोटिंग की अवधि E-voting period	30.12.2015 (9 बजे प्रातः)से 01.01.2016 (5 बजे सांय) तक 30.12.2015 (9 a.m.) to 01.01.2016 (5 p.m.)
प्रॉक्सी फार्मों व प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति का संकल्प जमा करने की अंतिम तिथि Last date for receipt of Proxy Forms and Resolutions appointing Authorized Representatives	सोमवार 28 दिसंबर, 2015 Monday, 28 th December, 2015

प्र.का.: 7 भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110 607

(ई-मेल: hosd@pnb.co.in)

सूचना

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैंक) विनियमन 2000 के विनियम 57 के अनुसरण में एतद्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक शनिवार दिनांक 02-01-2016 को प्रातः 10.00 बजे पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कालेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली - 110054 में आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया जायेगा:

1. बैंक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव -

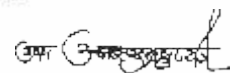
निम्नलिखित संकल्प पारित करके बैंक के शेयरधारकों में से केन्द्र सरकार को छोड़कर ऐसे एक निदेशक को चुनना जिनके संबंध में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 (जिसे इसके बाद 'विनियमन अधिनियम' कहा गया है) के साथ पठित बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 (जिसे इसके बाद इस संकल्प में अधिनियम कहा गया है) की धारा 9(3)(i) के अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुए हों, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 (जिसे इसके बाद 'योजना' कहा गया है) और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैंक) विनियमन 2000 (जिसे इसके बाद "विनियम" कहा गया है) एवं भारतीय रिजर्व बैंक की 1.11.2007 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी सं. बीसीसं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 (जिसे इसके बाद "भा.रि.बैंक अधिसूचना" कहा गया है) तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार हो।

संकल्प:

निम्नलिखित संकल्पों पर विचार किया गया और यदि सही पाया गया तो संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना पास किया गया :-

"संकल्प पारित किया जाता है कि योजना तथा उसके तहत बनाए गए विनियमों एवं भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अनुक्रम में केन्द्र सरकार से भिन्न शेयरधारकों में से चुने गए एक निदेशक एतद्वारा बैंक के निदेशक के पद पर नियुक्त किए गए और परिणामों की घोषणा की तिथि से जो भी बाद में हो बैंक के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे और इस प्रकार से पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए इस पद पर बने रहेंगे।"

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार
कृते पंजाब नैशनल बैंक



(उषा अनंतसुब्रह्मण्यन)

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17.11.2015

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi – 110 607

(E-mail – hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Regulation 57 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Punjab National Bank will be held on Saturday, the 2nd January, 2016 at 10.00 A.M. at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi 110054, to transact the following business:

1) Election of One Shareholder Director of the Bank

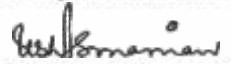
To elect **ONE** Director from amongst the shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "**Act**") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "**B R Act**"). The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "**Scheme**") and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "**PNB Regulations**") and Notification Nos. DBOD.No.BC.No.46& 47/29.39.001/2007-08 dated 01-11-2007 and DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23-05-2011 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as "**the RBI Notification**") and the extant Government of India (GoI) Guidelines.

RESOLUTION:

To consider and if thought fit, pass with or without modification, the following Resolution:

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst shareholders other than the Central Government, pursuant to Section 9(3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with relevant Scheme, PNB Regulations and RBI Notification, be and is hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from the day after the declaration of results and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of such assumption".

By order of the Board of Directors
For Punjab National Bank


(Usha Ananthasubramanian)
Managing Director & CEO

Place: New Delhi
Date: 17.11.2015

व्याख्यात्मक कथन

शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

निदेशक के चुनाव के लिए शेयरधारकों के अधिकार

भारत सरकार के अलावा शेयरधारक बैंक की शेयर पूंजी का 37.92% धारित हैं। अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक के शेयरधारकों (केन्द्र सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकतम तीन निदेशक रखने का पात्र है। दिनांक 30 अगस्त, 2015 से बोर्ड में एक शेयरधारक निदेशक का पद खाली है।

तदनुसार, रिक्तियों को देखते हुए, बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) बैंक के एक शेयरधारक प्रतिनिधि निदेशक (केन्द्र सरकार के अलावा) के निर्वाचन हेतु आयोजित की जा रही है।

अतः शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) अपना नामांकन भेजने के पात्र हैं अथवा सम्बद्ध अधिनियम, विनियमन अधिनियम, योजना, विनियमन, अधिसूचना जिनके संबद्ध अंश इसमें दिये गये हैं, की विस्तृत प्रक्रिया अनुसार चुनाव लड़ सकते हैं। चुने गये निदेशक पदभार ग्रहण करेंगे और पदभार ग्रहण करने की तिथि या परिणामों की घोषणा की तिथि से जो भी बाद में हो तीन वर्ष की अवधि तक के लिए बने रहेंगे।

कानूनी प्रावधान

इस मामले से संबंधित विभिन्न अधिनियमों/योजनाओं/विनियमों/अधिसूचना में दिए प्रावधान निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं:

अधिनियम/योजनाओं/विनियमन/अधिसूचना	प्रावधान
बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949	धारा 20
बैंककारी कंपनी(उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3(2ई), धारा 9(3)(i), धारा 9(3ए)(ए) से (सी), धारा9(3एए), धारा9(3एबी), धारा9(3बी), धारा13(2)
राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4), खंड10, खंड11, खंड11ए, खंड11बी, खंड 12(8)
पंजाब नेशनल बैंक(शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10, 61ए से 70
भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना संख्या दिनांक 1.11.2007 डीबीओडी सं. बीसीसं. 46 व 47/29.39.001/2007-08 एवं 23.05.2011 की अधिसूचना संख्या डीबीओडी बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9 (3एबी) के अनुक्रम में - राष्ट्रीयकृत बैंक के बोर्ड में चयनित निदेशकों के लिए सक्षम और उपयुक्त मानदंड
सेबी दिशानिर्देश- परिपत्र संख्या : सीआईआर/सीएफडी /पॉलिसी सेल/ 2/ 2014 दिनांक 17.04.2014	इलैक्ट्रानिक वोटिंग
कंपनी(प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015	खंड 20 इलैक्ट्रानिक माध्यम से वोटिंग नियम 20
वित्तीय सेवाएं प्रभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र सं.एफसं.16/83/2013 -बीओआई 03.09.2013 और अंशकालिक गैर- अधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देश दिनांक 01.06.2011 के पत्र 16/17/2010 बीओआई दिनांक 13/10/2011 और इसमें आगामी संशोधन और कोई अन्य संशोधन नामांकन भरने की तिथि के अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में अंशकालिक गैर अधिकारिक निदेशकों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

EXPLANATORY STATEMENT
Election of Shareholder Director

RIGHTS OF SHAREHOLDERS TO ELECT DIRECTOR

Shareholders other than GOI hold 37.92% of the share capital of the Bank. As per Section 9(3) (i) of the Act, Bank is entitled to have a maximum of three Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government). There is one vacancy of Shareholder Director in the Board with effect from 30th August, 2015.

Accordingly, with a view to fill the vacancy, an Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of the Bank is being convened to elect one Director representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations, if eligible, as per the procedure detailed in relevant Act, B R Act, Scheme, PNB Regulations, Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. The elected director will assume office from the day after the declaration of results and will hold office for a period of three years from the date of assumption of office.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme / PNB Regulations / Notification governing the matter.

ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATION	PROVISIONS
Banking Regulations Act, 1949	Section 20
Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E), Section 9 (3) (i), Section 9 (3A) (A) to (C), Section 9(3AA), Section 9(3AB), Section 9(3B) Section 13(2)
The Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 9 (4), Clause 10, Clause 11, Clause 11A, Clause 11B, Clause 12(8)
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations 2000	Regulation 10, 61A to 70
Reserve Bank of India Notification No. DBOD.No.BC.No.46&47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011	Pursuant to Section 9 (3AA) and Section 9 (3AB) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 – Fit and Proper criteria for elected Directors on the Boards of the nationalized banks.
SEBI guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICYCELL/2/2014 dated 17.04.2014	Electronic voting
The Companies (Management & Administration) Rules 2014 As amended by The Companies (Management & Administration) Amendment Rules 2015	Clause 20 – voting through electronic means Rule 20
Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendments thereto as on date of filing of nominations.	Guidelines for appointment of part time Non-Official Directors in Public Sector Banks.

उपर्युक्त प्रावधानों का सारांश नीचे दिया गया है :

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949

धारा 20 में इसके किसी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम मंजूर करने पर कुछेक सीमाओं का उल्लेख है।

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

- धारा 3 (2ई) में केन्द्र सरकार से भिन्न किसी शेयरधारकों के मतदान अधिकार को सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के 10 प्रतिशत तक सीमित किया गया है।
- धारा 9(3)(i) में ऐसे बैंकों में शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्धारित की गई है।
- धारा 9 (3ए) (ए) से (सी) में कुछ योग्यताएं/शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनमें विनिर्दिष्ट है कि धारा 9(3)(i) के तहत नामित किए जाने वाले निदेशकों को कुछेक क्षेत्रों का विशेष ज्ञान होना चाहिए।
- धारा 9 (3एए) और (3 एबी) में है कि कोई भी व्यक्ति तब तक निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उसके विगत रिकार्ड, निष्ठा और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना संख्या: डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 1 नवम्बर, 2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23 मई, 2011 के जरिए अधिसूचित किए गए मानदंडों के आधार पर सक्षम और उपयुक्त स्तर का न हो।
- धारा 9 (3बी) में भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत इस प्रकार चुने गए निदेशक को हटाने का अधिकार दिया गया है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3)ए और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा न करता हो।
- धारा 13 (2) में तीसरी अनुसूची में दिए गए निष्ठा तथा गोपनीयता की घोषणा के अनुरूप होना चाहिए।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

- खंड 9(4) में कहा गया है कि कोई भी निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए पद पर रहेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा परन्तु ऐसा कोई निदेशक लगातार 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।
- खंड 10 में निदेशकों के लिए कुछेक अयोग्यताएं विनिर्दिष्ट हैं।
- खंड 11 निदेशकों द्वारा पद रिक्त किए जाने से संबंधित हैं।
- खंड 11 ए ऐसी स्थिति से संबंधित है जहां अधिनियम की धारा 9(3)(i) के तहत निर्वाचित निदेशक को हटाया जा सकता है और उसके स्थान पर रिक्त पद को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को चुना जा सकता है।
- खंड 11 बी आकस्मिक रिक्तियों को भरने से संबंधित है।
- खंड 12 (8) निदेशकों द्वारा कतिपय जिनमें उनका हित है, के संबंध में हितों के प्रकटीकरण से संबंधित है।

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियमन, 2000

- विनियम 10 में शेयरों की संयुक्तधारिता के मामले में मतदान अधिकार निश्चित किए गए हैं।
- विनियम 61ए से 70 निदेशक के पद पर चुने जाने हेतु प्रत्याशियों के रूप में किसी व्यक्ति को नामित करने हेतु कुछेक शर्तें और चुनाव आयोजित करने की प्रक्रिया तथा अन्य प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं।

सेबी दिशानिर्देश - परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/पॉलिसी-सेल/2/2014 दिनांक 17.04.2014 में उल्लेख है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 दिनांक 19.03.2015 को संशोधित, की शर्तों में शेयरधारकों की साधारण बैठक में ई वोटिंग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 दिनांक 19.03.2015 को संशोधित

खंड 20 इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोटिंग की प्रक्रिया का विश्लेषण करता है। खंड 20(i) की शर्तों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा वोट की पात्रता निश्चित करने की कट ऑफ तिथि या सामान्य बैठक की तिथि सामान्य बैठक से 7 दिन पूर्व से कम की तिथि नहीं होगी।

THE GIST OF THE ABOVE MENTIONED PROVISIONS IS DESCRIBED HEREIN BELOW:

Banking Regulation Act, 1949

Section 20 places certain restrictions for granting any loan or advance to or on behalf of any of its directors.

Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

- Section 3 (2E) restricts the voting right of a shareholder other than the Central Government to Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders.
- Section 9(3) (i) prescribes the maximum number of directors to be elected by the shareholders.
- Section 9 (3A) (A) to (C) prescribes qualifications and special knowledge in certain fields for the directors to be nominated under Section 9 (3) (i).
- Section 9 (3AA) and (3AB) prescribes that no person shall be eligible to be elected as director unless he/she is a person having "Fit and Proper" status based upon track record, integrity and such other criteria as per Reserve Bank of India Notification Nos.DBOD.No.BC.No.46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 1st November, 2007 read with DBOD.No.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23rd May, 2011.
- Section 9(3B) deals with the right of Reserve Bank of India to remove a director so elected under Section 9(3) (i) of the aforesaid Act, who does not fulfill the requirements of Section 9 (3A) and Section 9(3AA) of the said Act.
- Section 13 (2) deals with the obligation as to declaration of Fidelity and Secrecy in the form set out in the Third Schedule.

Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

- Clause 9(4) provides that an elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office for a period exceeding six years.
- Clause 10 specifies certain disqualifications for directors.
- Clause 11 deals with vacation of office by directors.
- Clause 11 A deals with the situation where a director elected under Sec. 9(3) (i) of the Act may be removed and another person in his stead be elected to fill the vacancy.
- Clause 11B deals with casual vacancy.
- Clause 12(8) deals with disclosure of interest by directors, in certain arrangements in which they are interested.

Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000

- Regulation 10 determines the voting rights in the case of joint holding of shares.
- PNB Regulations 61A to 70 prescribes certain conditions for nominating a person as a candidate for election as a Director, the procedure for conducting an election and deals with other incidental matters.

SEBI Guidelines – circular no. CIR/CFD/POLICY-CELL/2/2014 dated 17.04.2014 mandates that e-voting should be facilitated in General Meetings of shareholders in terms of The Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended on 19.03.2015.

The Companies (Management and Administration) Rules 2014, as amended on 19.03.2015.

Rule 20 enumerates the procedure for voting through electronic means. In terms of Rule 20 (ii), cut-off date for determining eligibility to vote by electronic means or in the General Meeting shall be a date not earlier than 7 days before the General Meeting.

PROVISIONS OF ACTS/SCHEME/REGULATION/NOTIFICATION IN WEBSITE

- For the convenience of the shareholders, the relevant B R Act, the Act, the PNB Regulations, the Scheme as well as RBI Notifications are hosted on the Bank's website www.pnbindia.in – (Investor Info page), which are downloadable.

वेबसाइट में अधिनियम/योजना/विनियमन/अधिसूचना के प्रावधान

- शेयरधारकों की सुविधा के लिए सम्बद्ध विनियमन अधिनियम, विनियमन, योजना तथा भा.रि.बैंक की अधिसूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) है और इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

उम्मीदवार के लिये योग्यताएँ

- उम्मीदवार को अधिनियम की धारा 9(3ए) में यथानिर्धारित योग्यताओं को पूरा करना होगा तथा योजना की धारा 10 में विनिर्दिष्ट अनर्हता वाला न हो तो पीएनबी विनियमन के विनियम 65 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करेगा जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

I) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसरण में उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है एवं अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अधीन बैंक का निदेशक बनने का इच्छुक है, के पास निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।

(क) उसे निम्नलिखित मामलों में एक या अधिक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए:

- (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- (ii) बैंकिंग
- (iii) सहकारिता
- (iv) अर्थशास्त्र
- (v) वित्त
- (vi) विधि
- (vii) लघु उद्योग
- (viii) किसी अन्य मामले में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव जो भारतीय रिजर्व बैंक के मतानुसार जो बैंक के लिए उपयोगी हो।

(ख) वह जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो अथवा

(ग) वह किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हो।

II. उक्त अधिनियम की धारा 9(3एए) और भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना के अनुसार बैंक का शेयरधारक होने के नाते और बैंक के निदेशक पद के लिए नामांकन पद करने वाले प्रत्याशी को 'सक्षम एवं उपयुक्त' हैसियत वाला होना चाहिए।

III. इसके अतिरिक्त, निर्वाचित निदेशक को प्रसंविदा विलेख निष्पादित करना होगा और इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथानिर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करनी होंगी।

बैंक के निदेशक के रूप में चयन के लिए अनर्हता

अ. राष्ट्रीयकृत बैंक(प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 10 के अनुसरण में कोई व्यक्ति निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक बनने के लिए अयोग्य होगा :-

(क) यदि वह किसी भी समय दिवालिया न्यायनिर्णीत हुआ हो, या उसने ऋण अदा न किया हो या लेनदारों के साथ समझौता किया हो, अथवा

(ख) यदि वह विकृत मन का हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो, अथवा

(ग) यदि वह किसी दंड न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध के लिए सिद्ध ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता निहित हो, अथवा

(घ) यदि वह किसी पूर्णकालिक निदेशक, प्रबन्ध निदेशक और अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) एवं (घ) के अधीन बैंक के कर्मचारियों में से नामित निदेशक के पद के सिवाय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा की उपधारा(1) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक(अनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में यथा परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक में कोई लाभ का पद धारित करता हो और

(आ) भारतीय रिजर्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010-11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा भारत सरकार के वर्तमान दिशा-निर्देशों के अधीन बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा यदि वह 'सक्षम एवं उपयुक्त हैसियत' वाला न हो।

QUALIFICATION FOR A CANDIDATE

- The candidate shall comply with the qualifications prescribed in Section 9 (3A) of the Act and shall not suffer the disqualifications specified in Clause 10 of the Scheme and shall satisfy the conditions mentioned in Regulation 65 of the PNB Regulations, which are detailed herein.
 - I. In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as a Director of the Bank under Section 9 (3)(i) of the Act shall:
 - (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely :-
 - (i) agriculture and rural economy,
 - (ii) banking,
 - (iii) co-operation,
 - (iv) economics,
 - (v) finance,
 - (vi) law,
 - (vii) small scale industry.
 - (viii) any other matter the special knowledge of and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India is useful to the Bank.
 - (B) represent the interest of depositors; or
 - (C) represent the interest of farmers, workers and artisans.
 - II. In terms of Section 9(3AA) of the Act and RBI Notifications a candidate being a shareholder of the Bank and who files nomination to be a Director of the Bank should possess 'Fit & Proper status'.
 - III. Further, the elected directors should execute the Deed of Covenants and are required to furnish annual declarations, as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:-
 - a) if he has at any time being adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time director, including the Managing Director and directors nominated under clause (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and.
- (B) If he/she is not found to be 'fit and proper' person, by the Nominations Committee of the Directors of the Bank in terms of RBI Notifications No. DBOD.No.BC.No.46 & 47/ 29.39.001/ 2007-08 dated 01.11.2007 and DBOD.No. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and extant Government guidelines.

Gist of Guidelines for selection of part time Non-Official Director (NOD)

A Director already on the Board of a Bank/FI, under any category, may not be considered for nomination as NOD on any other Bank/FI.

No person may be re-nominated as a NOD on the Board of a Bank/FI on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years, whichever is longer.

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI if such Director has already been a NOD/shareholder-Director on the Board of any other Bank/FI for six years, whether continuously or intermittently.

The age of the Director should not be more than 67 years.

Government guidelines for selection of part time NODs shall be applicable for election of Shareholder Directors also.

Full details are as per Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and guidelines for selection of part time

अंशकालिक गैर- आधिकारिक निदेशकों (एनओडी) के चयन हेतु दिशानिर्देशों का सार :

यदि निदेशक बैंक/एफआई के किसी भी श्रेणी के तहत पहले ही शामिल हैं, तो उस पर किसी भी अन्य बैंक/एफआई के गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में मनोनीत करने के लिए विचार नहीं जा सकता ।

किसी भी व्यक्ति को बैंक/एफआई के बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में फिर से मनोनीत नहीं किया जा सकता जिसने किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकालों या छः वर्षों जो भी अधिक हो के लिए पूर्व में निदेशक के रूप में सेवाएं दी हों ।

अंशकालिक एनओडी के चयन के लिए सरकार के दिशानिर्देश शेयरधारक निदेशकों के चुनाव हेतु भी लागू होंगे ।

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार पत्र संख्या एफ.सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 3/9/2013 और 1/6/2011 तथा इसके पश्चात दिनांक 1.04.2015 को हुए संशोधन एवं नामांकन की भरने की तारीख तक अन्य दूसरे संशोधन के अनुसार पत्र संख्या 16/17/2010-बीओआई दिनांक 13/10/2011 द्वारा अंशकालिक गैर आधिकारिक निदेशक के चयन हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्ण ब्यौरे।

प्रत्याशियों के शेयरधारकों की सूची

दिनांक 27/11/2015 (कट-ऑफ तिथि1) के अनुसार बैंक के शेयरधारकों की सूची, "पंजाब नैशनल बैंक," नई दिल्ली/दिल्ली के पक्ष में, देय अधिसूचित बैंक के मांग ड्राफ्ट/भुगतान आदेश के जरिए रु. 50,000/- (रुपये पच्चास हजार केवल) का भुगतान करने पर बिक्री के लिए दिनांक 01/12/2015 से कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग प्रधान कार्यालय 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से उपलब्ध होगी । इच्छुक प्रत्याशी शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण भी कर सकते हैं और उससे उध्दरण निकाल सकते हैं ।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

शेयरधारकों का रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में सभी कार्यदिवसों में दिनांक 01.12.2015 से दिनांक 18.12.2015 तक दोपहर 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक खुला रहेगा जिससे प्रत्याशी शेयरधारक रजिस्टर के किसी भाग के उध्दरण ले सके या सम्बन्धित भाग को कम्प्यूटर प्रिंट लेने का बैंक से अनुरोध कर सके जिसके लिए उन्हें 5/- रुपये प्रति हजार शब्द या उसके अंश की दर से उसका पूर्व भुगतान करना होगा ।

निर्वाचन में भागीदारी

एनएसडीएल/सीडीएसएल/एसटीए द्वारा 27/11/2015 (कट-ऑफ तिथि1) को तैयार लाभग्राहियों/ शेयरधारकों के रजिस्टर में जिन शेयरधारकों के नाम हैं वे निर्वाचन में भाग लेने के हकदार हैं अर्थात् केन्द्र सरकार के अलावा शेयरधारकों के बीच में से निदेशकों के निर्वाचन में नामांकन करने, चुनाव के हकदार हैं ।

नामांकन :

नामांकन की वैधता

पीएनबी विनियमन के विनियम 65 और भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना डीबीओडी.नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/2010-11 दिनांक 01.11.2007 तथा डीबीओडी.नं. बीसी.नं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा विभिन्न अधिनियमों के अन्य लागू प्रावधानों के अधीन निदेशक के रूप में निर्वाचन हेतु उम्मीदवार का नामांकन वैध होगा किंतु उपबंध यह है कि :

क) दिनांक 27/11/2015 (कट ऑफ तिथि1) को पंजाब नैशनल बैंक में कम से कम 100 शेयर (एक सौ शेयर) धारित / शेयरधारक हो तथा दिनांक 02/01/2016 तक कम से कम 100 शेयर धारित करता रहे और उसके बाद भी अगर वह निर्वाचित होता है/होती है ।

ख) वह विनियमन अधिनियम, अधिनियम, योजना, विनियमन अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के अधीन निदेशक नामांकन की प्राप्ति की अंतिम तारीख यथा 18/12/2015 को निदेशक होने के अयोग्य घोषित न किया गया हो ।

ग) नामांकन लिखित रूप से हो और उस पर इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को निर्वाचित करने के लिए हकदार कम से कम 100 शेयरधारकों या उनके द्वारा सम्यक रूप से नियत अटार्नी के हस्ताक्षर हों परंतु यह कि यदि शेयरधारक

Non-Official Director vide letter no. 16/17/2010-BO.I dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendments thereto as on date of filing of nominations.

LIST OF SHAREHOLDERS TO CONTESTANTS

A list of shareholders of the Bank as on 27/11/2015 (Cut-off Date¹) will be available for sale on and from 01/12/2015 on pre-payment of Rs.50,000/- (Rupees fifty thousand only) by a demand draft/pay order of a Scheduled Bank in favour of "Punjab National Bank" payable at New Delhi/Delhi along with a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001. The intending candidates may also inspect the Register of shareholders and take extracts there from.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of shareholders will be open for inspection by the shareholders, with the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Finance Division, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001, on all working days commencing from 01.12.2015 till 18.12.2015 between 3.00 p.m. and 5.00 p.m. on weekdays for the purpose of enabling the candidates to take extracts of any part from the Register of Shareholders or request the Bank for computer prints of the relevant portions, on prepayment of an amount to be calculated at the rate of Rs. 5/- for every thousand words or part thereof.

PARTICIPATION IN ELECTION

Such of those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial owners as furnished by NSDL/CDSL/Share Transfer Agent (STA) as on 27/11/2015 (Cut-off Date¹) shall be entitled to nominate and contest the election of Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

NOMINATIONS:

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the PNB Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India – DBOD.No.BC.No.46 and 47/29.39.001/2010-11 dated 01.11.2007 and DBOD No. BC No. 95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a director will be valid provided:

- A) He/she is a shareholder holding as on 27/11/2015 (Cut-off Date¹), a minimum of 100 (one hundred) shares in Punjab National Bank and continue to hold a minimum of 100 shares till 02/01/2016 and thereafter if he/she is elected.
- B) As on 18/12/2015 being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be a director under the B R Act, the Act, the Scheme, the PNB Regulations or RBI Notifications.
- C) The nomination is in writing signed by at least **100 shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a Corporate Body may be made by a resolution of the Directors of the said Corporate Body and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- D) The nominations by the shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate, as per the specimen forms of nomination and declaration furnished in this Notice, duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or Officer of Reserve Bank of India or any nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election and that he is not disqualified from being a director, either under the B R Act or the Act or Scheme or the PNB Regulations or RBI Notification or GOI guidelines.
- E) The Nomination Forms and the Declaration Form are as prescribed by the PNB Regulations and as per the Proforma annexed to this notice. The entire notice inter alia comprising these Proforma is also available on the Bank's Website: www.pnbindia.in. (Investor Info Page)

कोई, निगमित निकाय हो तो उक्त निगमित निकाय के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकता है और जहां ऐसा किया जाता है, वहां जिस बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित संकल्प की एक सत्यप्रति बैंक के कम्पनी सचिव, पंजाब नेशनल बैंक, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली -110001 के नाम प्रेषित की जाएगी और उक्त प्रति को ऐसी कम्पनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।

(घ) शेयरधारकों(न्यूनतम 100) द्वारा किसी न्यायाधीश, जिलाधीश, आश्वासन रजिस्ट्रार अथवा उप रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का घोषणा पत्र नामांकन के साथ संलग्न किया गया है कि उसे नामांकन स्वीकार है और वह निर्वाचन के लिए खड़ा होने का इच्छुक है तथा इस अधिनियम के अधीन या इस योजना या इन विनियमों के अधीन निदेशक होने के अयोग्य नहीं है।

(ड) इस नोटिस के साथ नामांकन फार्म और विनियमन द्वारा यथानिर्धारित घोषणा फार्म और प्रोफार्मा संलग्न है। इन प्रपत्रों सहित संपूर्ण नोटिस बैंक की वेबसाइट : www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) पर भी उपलब्ध है।

नामांकन फार्मों का प्रस्तुत किया जाना :

ये सभी इस नोटिस के साथ भेजे गये प्रारूपों में **‘मोहरबंद लिफाफे में’** कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001 को सभी दृष्टियों से पूर्ण सम्बन्धित दस्तावेजों के साथ असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम 14 दिन पूर्व किसी कार्य दिवस को अर्थात् दिनांक 18/12/2015 को सांय 5.00 बजे बैंक कार्य समय समाप्त होने से पूर्व पहुंच जाने चाहिए।

क. विधिवत् रूप से भरा हुआ घोषणा पत्र

ख. चुनाव लड़ने के पात्र कम से कम 100 शेयरधारकों की ओर से नामांकन

ग. व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उसके साथ एक वचनपत्र जिनके साथ सम्बन्धित दस्तावेज़, प्रमाण पत्र, होंगे जैसे कि व्यक्तिगत परिचय, शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव आदि के प्रमाण पत्र इत्यादि।

नामांकनों की जांच और निदेशकों का चुनाव :

(क) नामांकनों की जांच, बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा नामांकनों की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहले कार्यदिवस 19/12/2015- को विस्तारित सरकार के दिशानिदेश तथा आरबीआई नोटिफिकेशन की शर्तों के अनुसार ‘फिट एवं उचित’ स्टेटस के साथ की जायेगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करते हुए उसे अस्वीकार कर दिया जायेगा।

(ख) यदि निर्वाचन द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति के लिए केवल एक वैध नामांकन हो तो ऐसे नामांकित उम्मीदवार को तुरन्त निर्वाचित हुआ समझा जायेगा एवं उसका नाम और पता निर्वाचित उम्मीदवार के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। फिर भी निर्वाचित उम्मीदवार परिणाम घोषित होने के पश्चात् ही कार्यग्रहण कर सकेगा।

(ग) हो रहे चुनाव के समय, यदि एक से अधिक वैध नामांकन हैं तो उम्मीदवारों के नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जायेंगे। चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को चुना हुआ समझा जायेगा और उनके नाम बैठक में अध्यक्ष द्वारा घोषित किए जायेंगे और समाचार पत्रों में भी प्रकाशित किए जायेंगे। वह परिणाम की घोषणा के पश्चात् के दिन से ही कार्यभार संभालेंगे।

(घ) यदि कोई विवाद होता है तो उसका निपटान पीएनबी विनियमन के विनियम 67 के अनुसार किया जायेगा।

नामांकन वापिस लेना

यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापिस लेना चाहता है तो वह ऐसा को दिनांक 19/12/2015, को सांय 5.00 बजे तक बैंक के बंद होने से पूर्व कर सकता है।

निदेशकों का हित

बैंक के किसी भी निदेशकों का कारोबार की उपर्युक्त मद में कोई हित नहीं समझा जायेगा।

Submission of nomination forms

Shareholders desirous of contesting the election of Director should submit following documents in the formats annexed to this notice, in a SEALED ENVELOPE to the Company Secretary, Punjab National Bank, Finance Division, Share Department, 5, Sansad Marg, New Delhi 110001 together with the connected documents, complete in all respects, on a working day at least 14 days before the date of the meeting, i.e., on or before closing hours of the Bank at **5.00 pm on 18th December, 2015.**

- a) Duly filled in Declaration Form;
- b) Nominations from minimum of 100 shareholders entitled to nominate in the elections;
- c) Personal Information, Declaration and Undertaking together with the connected documents, testimonials, viz., Bio Data, Certificates of Educational qualification, experience, etc.

SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTOR

- (a) Nominations shall be scrutinized by the Nomination Committee of the Board on 19.12.2015 i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations, to ascertain the 'Fit and Proper' status in terms of the RBI Notifications and extant Government guidelines. In case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- (b) If there is only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. However, the deemed elected candidate shall assume office only on the day after the declaration of result.
- (c) In the event of an election being held, if the valid nominations are more than one, the names of the candidates shall be published in the news papers. The candidate polling the majority of votes at the election will be deemed to have been elected and his/her name will be declared by the Chairman of the meeting after receipt of scrutinizer's report and will also be published in newspapers. He/She will assume office on the day after the declaration of result.
- (d) If there is any dispute the same shall be settled as per Regulation 67 of the PNB Regulations.

Withdrawal of Candidature

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e. on or before 5.00 pm on 19/12/2015.

INTEREST OF DIRECTORS

None of the Directors of Bank is interested in the aforementioned item of business.

NOTES:

- 1. Detailed notices of the aforesaid meeting containing inter-alia, formats of Nomination forms, Declaration, Proxy form and Attendance Slip cum Entry Pass etc are also available for downloading from the website of the Bank viz. www.pnbindia.in (Investors' Info Page)
- 2. Entry to the venue will be permitted only on the basis of valid attendance slip cum entry pass cum ballot paper pass with proper identification.
- 3. A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF AND SUCH PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

टिप्पणियाँ :

1. उपर्युक्त बैठक का विस्तृत नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ नामांकन फार्म के प्रारूप, घोषणा, प्रॉक्सी फार्म तथा उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र आदि बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in (निवेशक सूचना परिशिष्ट) से डाउनलोड भी करने के लिए उपलब्ध है ।
2. बैठक में वैध उपस्थिति पर्ची व प्रवेश पत्र व मतदाता पर्ची-पास तथा सही पहचान के साथ ही प्रवेश दिया जायेगा ।
3. बैठक में उपस्थित होने और मत देने के पात्र शेयरधारक अपने स्थान पर उपस्थित होने और मत देने हेतु प्रॉक्सी नियुक्त करने का भी पात्र होगा/होगी तथा ऐसी प्रॉक्सी का बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है लेकिन ऐसी प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।
4. कोई भी ऐसा व्यक्ति, किसी निगमित निकाय के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में, तब तक बैंक की बैठक में उपस्थित होने या मत देने का पात्र नहीं होगा, जब तक उस बैठक जिस में यह संकल्प पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसे नियुक्त करने वाले संकल्प की सत्यप्रति प्रधान कार्यालय में जमा कर दी जाए ।
5. निर्वाचन याचिका सं० 2699/2015 (श्री आदर्श मालपानी बनाम पंजाब नेशनल बैंक एवं अन्य) तथा याचिका सं० 2700/2015 (श्री पुष्पजीत यादुका बनाम पीएनबी एवं अन्य), अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 19.03.2015 को ईजीएम में निर्वाचन के स्थगन के निर्णय को चुनौती देने वाली दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय के अधीन है ।

6. मतदान प्रक्रिया

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान

I कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 यथा संशोधित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम 2015 के नियम 20 साथ पठित सूचीकरण करार के खंड 35 बी के प्रावधानों की अनुपालना में बैंक द्वारा शेयरधारकों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-वोटिंग के माध्यम से ईजीएम में ई-वोटिंग की सुविधा दे रहा है । शेयरधारकों की ई-वोटिंग के लिए पात्रता निर्धारित करने की कटआफ तिथि 26/12/2015 है।

II मतपत्र के माध्यम से वोटिंग की सुविधा भी बैठक में उपलब्ध होगी और बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों जिन्होंने रिमोट ई वोटिंग द्वारा पहले अपना वोट नहीं किया है, मतपत्र के माध्यम से अपने अधिकार का प्रयोग करने में सक्षम होंगे।

III वह सदस्य जिसने बैठक से पहले ही रिमोट ई वोटिंग द्वारा अपना वोट किया है, बैठक में भाग ले सकता है परंतु वह दुबारा अपना वोट करने के लिए पात्र नहीं होगा।

IV ई-वोटिंग के लिए अनुदेश निम्नवत् है :

(i) ईवोटिंग की अवधि 30/12/2015 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 01/01/2016 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी । इस अवधि में कट आफ तिथि 26/12/2015 के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमेटेरियालाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप में डाल सकते हैं। ई वोटिंग के बाद सीडीएसएल द्वारा ईवोटिंग माड्यूल हटा दिया जाएगा ।

(ii) शेयरधारक, ई-वोटिंग के लिए वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉगिन करें ।

(iii) "Shareholders" टैब पर क्लिक करें ।

(iv) अब अपनी यूजर आईडी प्रविष्ट करें

क) सीडीएसएल के लिए : 16 अंकों की लाभार्थी आईडी

(ख) एनएसडीएल के लिए : 8 डिजिट की ग्राहक आईडी द्वारा अनुपालित 8 अंकों की डीपीआईडी

(ग) भौतिक रूप में शेयरधारिता करने वाले सदस्यों को बैंक के साथ पंजीकृत फोलियो सं० प्रविष्ट की जानी चाहिए ।

(व) इसके पश्चात प्रदर्शित इमेज सत्यापन दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें ।

4. No person shall be entitled to attend or vote at the Extra-ordinary General Meeting as a duly authorized representative of any body-corporate, which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank.
5. The election shall be subject to the decision of the High Court, Delhi, on the writ petition no. 2699/2015 (Mr. Adarsh Malpani vs PNB and others) and writ petition no 2700/2015 (Mr. Puspjeet Yaduka vs PNB and another), inter-alia, challenging the decision to postpone the elections in the EGM on 19.03.2015.

6. **Voting Process**

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

- I. In compliance with provisions of Clause 35 B of the Listing Agreement read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, substituted by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 the Bank is providing the shareholders facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be considered at the forthcoming EGM by remote e-voting through e-voting platform provided by Central Depository Services (India) Limited (CDSL) and voting at the general meeting. The Cut-off Date² for determining the eligibility of shareholders to exercise remote e-voting and voting at general meeting is 26.12.2015.
- II. That the facility for voting through ballot paper shall also be made available at the meeting & members attending the meeting who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right at the meeting through ballot paper.
- III. That the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the meeting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under:
 - (i) The remote e-voting period begins on 30/12/2015 (9:00 am) and ends on 01/01/2016 (5:00 pm). During this period shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date² of 26.12.2015, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.
 - (ii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com
 - (iii) Click on "Shareholders" tab.
 - (iv) Now Enter your User ID
 - a. For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
 - b. For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
 - c. Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.
 - (v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
 - (vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.
 - (vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) - Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. - In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.

(vi) यदि आप डीमैट रूप में शेयर धारित करते हैं और www.evotingindia.com पर लॉगिन किया है और किसी कंपनी के लिए पूर्व में वोटिंग किया है, तब मौजूदा पासवर्ड उपयोग में लाएं।

(vii) यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो नीचे दिए गए चरणों की अनुपालना करें :

	डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का अपना एल्फा न्यूमेरिक पैन दर्ज करें (डीमैट शेयरधारक एवं भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू) - सदस्य जिन्होंने कंपनी/ डिपॉजिटरी सहभागी के साथ/अपना पैन अद्यतन नहीं किया है, से अनुरोध है कि पैन फील्ड में अपने नाम के पहले दो अक्षरों और क्रम संख्या के आठ अंकों का उपयोग करें। - यदि क्रम संख्या 8 अंकों से कम है तो कैपिटल लैटर्स में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद लागू संख्या 0 दर्ज करें। उदाहरणस्वरूप: यदि क्रम संख्या 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार है तो पैन फील्ड में RA00000001 दर्ज करें।
जन्म तिथि	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज जन्म तिथि दिन/ माह/ वर्ष प्रारूप में दर्ज करें।
लाभांश बैंक ब्यौरा	अपने डीमैट खाते या कथित खाते या फोलियो के लिए कंपनी रिकार्ड में दर्ज लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। कृपया लॉगिन करने के लिए जन्म तिथि या लाभांश बैंक ब्यौरा दर्ज करें। यदि ब्यौरा कंपनी या डिपॉजिटरी के साथ दर्ज नहीं है, कृपया डिविडेंड बैंक डिटेल्स फील्ड में सदस्य आईडी /फोलियो संख्या दर्ज करें।

(viii) इन ब्यौरों को उचित प्रकार से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य सीधे कंपनी सलेक्शन स्क्रीन पर जाएंगे तथापि डीमैट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्य पासवर्ड क्रिएशन विकल्प में जाएंगे जिसमें उनसे नए पासवर्ड फील्ड में अपना लॉगिन पासवर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज करना अपेक्षित है। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का उपयोग किसी अन्य कंपनी के संकल्पों के लिए वोटिंग हेतु डीमैट धारकों द्वारा किया जाना है, जिस पर वे वोटिंग के लिए पात्र हैं बशर्ते कंपनी सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-वोटिंग चुनें। यह दृढ़तापूर्वक सुझाव दिया जाता है कि किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में सावधानी बरतें।

(x) भौतिक रूप में शेयरधारण करने वाले सदस्यों के लिए, ब्यौरे का उपयोग इस नोटिस में दिए गए संकल्प पर ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है।

(xi) पंजाब नेशनल बैंक के लिए "EVSIN" पर क्लिक करें जिस पर वोट करने के लिए चुनते हैं।

(xii) वोटिंग पेज पर, आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा और इसके विपरीत वोटिंग के लिए "YES/NO" विकल्प दिखेगा। ऐच्छिक विकल्प 'YES' या 'NO' चुनें। विकल्प YES का तात्पर्य है कि आप संकल्प के समर्थन में हैं और विकल्प NO का तात्पर्य है कि आप संकल्प के विरुद्ध हैं।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प ब्यौरा देखना चाहते हैं तो "RESOLUTION FILE LINK" पर क्लिक करें।

(xiv) संकल्प चयन के पश्चात् आपने उस पर वोट करने का निर्णय लिया, SUBMIT पर क्लिक करें। पुष्टि बाक्स प्रदर्शित होगा। यदि आप अपना वोट सुनिश्चित करना चाहते हैं, OK पर क्लिक करें लेकिन वोट बदलने के लिए CANCEL पर क्लिक करें और तदनुसार अपना वोट बदलें।

(xv) एक बार आपने संकल्प पर अपना वोट CONFIRM कर दिया तो आपको अपना वोट बदलने की अनुमति नहीं होगी।

(xvi) आप वोटिंग पेज पर 'Click here to print' विकल्प पर क्लिक करके स्वयं द्वारा की गयी वोटिंग का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं।

(xvii) यदि डीमैट खाताधारक परिवर्तित पासवर्ड भूल गया हो तब यूजर आईडी और इमेज सत्यापन कोड दर्ज करें और FORGOT PASSWORD पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा तैयार किया गया ब्यौरा दर्ज करें।

DOB	Enter the Date of Birth as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio in dd/mm/yyyy format.
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details as recorded in your demat account or in the Bank records for the said demat account or folio. Please enter the DOB or Dividend Bank Details in order to login. If the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field.

- (viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (ix) Members holding shares in physical form will then reach directly the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xi) Click on the EVSN for Punjab National Bank on which you choose to vote.
- (xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.
- (xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xviii) Note for Non-Individual Shareholders & Custodians:
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to <https://www.evotingindia.com> and register themselves as Corporates.
 - A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com
 - After receiving the login details a compliance user should be created using the admin log-in & password. The compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
 - The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
 - They should upload a scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

In case you have any queries or issues regarding e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com. The contact details of official for e-voting are as follows:

Name - Mr. Wenceslaus Furtado
Designation - Deputy Manager
Address - Central Depository Services (India) Ltd.
e-mail ID - helpdesk.evoting@cdslindia.com
Phone no. - 18002005533

(xviii) गैर-वैयक्तिक शेयरधारकों एवं कस्टोडियन्स के लिए नोट :

- गैर-वैयक्तिक शेयरधारक (अर्थात् व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) और कस्टोडियन से अपेक्षित है कि <https://www.evotingindia.com> पर लॉगिन करें और स्वयं को कारपोरेट्स के रूप में पंजीकृत करें ।
- उपक्रम का स्टाम्प और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फार्म की स्कैन कापी helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करना चाहिए ।
- लॉगिन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद कम्प्लेक्स यूजर द्वारा उपयोग की जाने वाली एडमिन लॉगिन और पासवर्ड सृजित करना चाहिए/कम्प्लेक्स यूजर खाता (तों) जिसके लिए वे वोट करने के इच्छुक हैं को लिंक करने में सक्षम होगा ।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल की जानी चाहिए और खातों के अनुमोदन पर वे अपना वोट देने के लिए सक्षम होंगे ।
- उन्हें बोर्ड संकल्प और पावर आफ एटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति अपलोड करनी चाहिए जिसे उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी किया है, यदि कोई है, इसे सत्यापित करने के लिए संवीक्षक हेतु सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।

ई वोटिंग से संबंधित किसी पूछताछ या मामले के लिए, आप अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ) और Help Section के अन्तर्गत www.evotingindia.com पर उपलब्ध ई वोटिंग मैन्युअल देख सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल लिख सकते हैं। ई वोटिंग के लिए अधिकारी का संपर्क ब्यौरा निम्नवत है।

नाम- श्री वेनसेसलॉस फुरटाडो

पदनाम- उप प्रबंधक

पता- सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (भारत) लिमिटेड

ई - मेल आईडी: helpdesk.evoting@cdslindia.com

फोन नं0 18002005533

(v) यदि आप सीडीएसएल के साथ ईवोटिंग के लिए पहले ही पंजीकृत हैं तो आप मतदान के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड पिन का उपयोग कर सकते हैं।

(vi) आप फोलियों के यूजर प्रोफाइल में अपना मोबाइल नं0 और ईमेल आईडी भी अद्यतन कर सकते हैं जिसका उपयोग भविष्य में किए जाने वाले पत्राचारों के लिए किया जा सकता है।

(vii) रिमोट ई वोटिंग की अवधि 30/12/2015 (प्रातः 9.00 बजे) शुरू होगी और 01/01/2016 (सायं 5.00 बजे) तक समाप्त हो जाएगी । इस अवधि में कट आफ तिथि के अनुसार बैंक के शेयरधारक चाहे वह भौतिक रूप में शेयरधारित करते हो या डिमैटेरियालाइज्ड रूप में अपना वोट इलेक्ट्रानिक रूप में डाल सकते हैं । ई वोटिंग के बाद एनएसडीएल द्वारा ईवोटिंग

- V. If you are already registered with CDSL for e-voting earlier then you can use your existing user ID and password/PIN for casting your vote.
- VI. You can also update your mobile number and e-mail id in the user profile details of the folio which may be used for sending future communication(s).
- VII. The remote e-voting period commences on 30/12/2015 (9:00 am) and ends on 01/01/2016 (5:00 pm). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Cut-off Date² may cast their vote electronically. The e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.
- VIII. Shareholders can opt for only one mode of voting, i.e. either physically by attending EGM or remote e-voting. If any shareholder opts for remote e-voting, he will not be eligible to vote physically in EGM.
- IX. As the election is for one Shareholder Director only, vote be cast for not more than one Director else the votes cast shall be treated as invalid.
- X. Ms. Ashu Gupta, Practising Company Secretary (Membership No. F4123, CP No. 6646) of M/s Ashu Gupta & Co. (email ID – agc.scrutinizer@gmail.com) has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.
- XI. The Scrutinizer shall after the conclusion of voting at the EGM, will first count the votes cast at the meeting and thereafter unblock the votes cast through remote e-voting in the presence of at least two (2) witnesses not in the employment of the Bank and shall make within three days of conclusion of the EGM a consolidated Scrutinizer's Report of the total votes cast in favour or against, if any, to the Chairman of the Meeting or a person authorised by him in writing who shall countersign the same and declare the result of the voting forthwith.
- XII. The Results along with the Consolidated Scrutinizer's Report shall be placed on the Bank's website www.pnbindia.in and on the website of CDSL immediately after the result is declared by the Chairman.

Poll Process on 02/01/2016 (EGM date) for those who have not cast their vote through e-voting.

- The voting for the proposed resolutions will be by Poll through Secret Ballot.
 - The polling will commence immediately after an announcement in this regard is made by the Chairman and continue up to 11.00 a.m.
 - Ballot Papers shall be issued at the Counters set up for this purpose to the shareholders / proxy holders / authorized representatives on surrender of **Ballot Paper Pass** issued at the time of registration.
 - Shareholders may exercise their right by affixing a rubber stamp (X) against the name of one candidate of their choice in the Ballot Paper and deposit them in the Ballot Box (es).
 - The Counting of votes would be taken up thereafter and the Results would be declared by the Chairman or the official authorized by him/her after receipt of scrutinizer's report.
 - The entire process of election would be conducted by a Chief Returning Officer appointed by the Bank, with assistance of two scrutinizers, including one shareholder scrutinizer.
7. THE PROXY FORM/ AUTHORIZED REPRESENTATIVE LETTER, IN ORDER TO BE EFFECTIVE, MUST BE RECEIVED BY THE **COMPANY SECRETARY, PUNJAB NATIONAL BANK, FINANCE**

माडयूल हटा दिया जाएगा । शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर मतदान करने के पश्चात् शेयरधारक को इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

viii) शेयरधारक वोटिंग का केवल एक मोड अर्थात् या तो ईजीएम में उपस्थित होकर भौतिक रूप से या ई-वोटिंग कर सकता है। यदि शेयरधारक ई-वोटिंग का विकल्प चुनता है तो वह ईजीएम में भौतिक रूप से मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा।

ix) जैसे कि यह चुनाव केवल एक शेयरधारक निदेशक के लिए है । एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के मामले में, वोट एक से अधिक निदेशक के लिए नहीं दिया जा सकता अन्यथा वोट अवैध माना जाएगा ।

x) मैं: आशु गुप्ता एंड कंपनी (ई-मेल आईडी agc.scrutinizer@gmail.com) के कंपनी सचिव में कार्यरत के रूप सुश्री आशु गुप्ता, (सदस्यता सं. एफ 4123, सीपी नं. 6646), को बैंक द्वारा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की संवीक्षा करने के लिए एक संवीक्षक की नियुक्ति की गई है।

xi) संवीक्षक, आम बैठक के दौरान हुई वोटिंग के तुरंत बाद डाले गए वोटों की गिनती करेगा तत्पश्चात् दो (2) साक्ष्यों की उपस्थिति में जो बैंक के नियोजन में न हों, वोट अनब्लॉक करेगा और बैठक के अध्यक्ष को या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को पक्ष या विपक्ष में डाले गये वोट की यदि कोई हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा

xii) संवीक्षक रिपोर्ट के साथ परिणामों की घोषणा, बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in पर की जाएगी और अध्यक्ष द्वारा परिणाम घोषित करने के पश्चात शीघ्र ही इसे सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया जायेगा।
उन व्यक्तियों के लिए जिन्होंने अपना ई-वोटिंग के माध्यम से वोट नहीं किया है उनके लिए दिनांक 02/01/2016 (ईजीएम तिथि) को चुनाव प्रक्रिया

- प्रस्तावित संकल्पों के लिए वोटिंग गुप्त मतदान द्वारा की जायेगी ।
- इस संबंध में अध्यक्ष द्वारा घोषणा करने के तुरंत बाद मतदान होंगे और 11.00 बजे तक जारी रहेंगे ।
- पंजीकरण के समय जारी मतपत्र पास के अभ्यर्पण पर शेयरधारकों/प्राक्सीधारकों / अधिकृत प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य से स्थापित काउंटरों पर मतदान जारी किए जाएंगे ।
- शेयरधारक मतपत्र में दिये गये अपनी पसंद के एक उम्मीदवार के सामने रबड़ स्टाम्प (X) लगाकर अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है और उन्हें मत पत्र पेटिका में डाल सकता है ।
- इसके पश्चात् मतगणना की जायेगी और संवीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अध्यक्ष द्वारा परिणामों की घोषणा की जायेगी ।
- निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया बैंक द्वारा नियुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दो संवीक्षकों की सहायता से केन्द्र सरकार द्वारा नामित जो प्रेक्षक के रूप में देख रेख करेगा, की देखरेख में की जायेगी ।

DIVISION, SHARE DEPARTMENT, HEAD OFFICE, 5, SANSAD MARG, NEW DELHI 110 001, NOT LATER THAN FOUR DAYS BEFORE THE DATE OF THE MEETING I.E. ON OR BEFORE THE CLOSING HOURS (5.00 P.M.) ON 28/12/2015.

8. ATTENDANCE SLIP - CUM - ENTRY PASS- CUM-BALLOT PAPER PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass-cum-Ballot Paper Pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders / Authorized Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/ Authorized Representative of shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorized Representative" as the case may be. The portion of Ballot Paper Pass shall be surrendered to obtain Ballot Paper at the time of Poll.

9. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but can attend & vote on behalf of the grantor.
10. Shareholders may kindly note that no gifts / gift coupon will be distributed at the meeting.

11. VOTING RIGHTS

- In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him / her in excess of Ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.
- As per Regulation 10 of the PNB Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting be deemed to be the sole holder thereof.

Subject to the above, as per Regulation 68, each shareholder who has been registered as a shareholder on the **Cut-off Date²** shall have one vote for each share held by him/her.

By order of the Board of Directors

for **PUNJAB NATIONAL BANK**



(Usha Ananthasubramanian)

Managing Director & CEO

Place: NEW DELHI

Date: 17.11.2015

7. प्रॉक्सी फार्म/प्राधिकृत प्रतिनिधि पत्र तभी प्रभावी होगा यदि वह बैंक के कंपनी सचिव, शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, प्रधान कार्यालय, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001में बैठक से 4 दिन पहले तक अर्थात् 28/12/2015 को सायं 5.00 बजे तक अर्थात् दिन की समाप्ति अथवा उससे पूर्व प्राप्त हो जाये ।

8. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-बैलेट पेपर पास

शेयरधारकों की सुविधा के लिए इस नोट के साथ उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास संलग्न किया जा रहा है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थल पर जमा करें । शेयरधारकों के प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास पर प्रॉक्सी अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' यथास्थिति लिखें । मतदान के समय बैलेट पेपर प्राप्त करने के लिए बैलेट पेपर के हिस्से को जमा करना होगा ।

9. इस प्रकार नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा परंतु ऐसा प्रॉक्सी प्रदाता की ओर से बैठक में भाग ले सकता है और मतदान कर सकता है ।

10. शेयरधारक कृपया नोट करें कि बैठक में कोई उपहार/कूपन नहीं बांटे जायेंगे ।

11. वोटिंग अधिकार

- अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ई) (के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा कोई भी शेयरधारक अपने पास धारित शेयरों के संबंध में बैंक के कुल शेयरधारकों के 10% से अधिक के अपने शेयरों के वोटिंग अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता/सकती है ।

- पीएनबी विनियमन के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम में हो तो रजिस्टर में जिस व्यक्ति का नाम पहले होगा, उसे वोटिंग के सम्बन्ध में उस शेयर का एक मात्र धारक माना जायेगा ।

उपर्युक्त के अध्याधीन, विनियम 68 के अनुसार ऐसा प्रत्येक शेयरधारक जिसे कट-ऑफ तिथि 2 को शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया अपने द्वारा धारित प्रत्येक शेयर के लिए एक वोट देने का अधिकारी होगा ।

बोर्ड के निदेशकों के आदेशानुसार

कृते पंजाब नैशनल बैंक

(उषा अनंतसुब्रह्मण्यन)

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 17.11.2015

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

PUNJAB NATIONAL BANK
Head Office: 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi 110607

DECLARATION

(By the Candidate)
(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

I, _____ son/daughter/wife of
Shri. _____, a resident of

hereby confirm that

a) I am a shareholder holding _____ equity shares of Bank, as on Friday, the 27.11.2015, i.e. the Cut-off Date¹ for nominating and contesting in the elections; and

b) I have special knowledge or practical experience* in (i) Agriculture and Rural Economy, (ii) Banking, (iii) Co-operation, (iv) Economics, (v) Finance, (vi) Law, (vii) Small Scale Industry or _____ (special knowledge or practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of Depositors or Farmers, Workers and Artisans, in terms of sub section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof I submit herewith the relevant testimonials; and

c) I accept the nominations numbered from _____ to _____, and

d) I am willing to stand for the election as Director of Punjab National Bank, and

e) I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, RBI Notification – DBOD No. BC. No.46 & 47/29-39.001/2007-08 dated 1.11.2007 and DBOD NO. BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.5.2011, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India letter no. F. No. 16/83/2013 – BOI dated 03.09.2013 and extant guidelines for selection of part time Non-Official Director vide letter No. 16/17/2010-BOI dated 13.10.2011 as on 01.06.2011 and subsequent amendments thereto and

f) I neither hold any office of profit nor I am an employee of any nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 and

g) I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief is true and complete
and

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110607

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(पीएनबी विनियमन के विनियम 65 देखें)

मैं.....सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी.....
श्री/श्रीमती.....निवासी.....

एतद्वारा पुष्टि करता/करती हूँ कि :

क) 27.11.2015 शुक्रवार अर्थात् चुनाव में भाग लेने के लिए कट ऑफ तिथि 1 को मैं बैंक का/की शेयरधारक हूँ और मेरी शेयरधारिता ----- इक्विटी शेयरों की है, और

ख) मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग, अथवा ----- की विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है (भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से जिस विषय का विशेष ज्ञान अथवा/ और व्यावहारिक अनुभव बैंक के लिए लाभदायक होगा) और मैं, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उपधारा 3ए के अनुसरण में जमाकर्ताओं और/अथवा कृषकों, कर्मचारों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूँ और इसके प्रमाण में संबंधित प्रमाणपत्रों को संलग्न कर रहा हूँ; और

ग) मैं ----- से ----- तक नामांकन स्वीकार करता/करती हूँ; और

घ) मैं पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव में भाग लेने का/की इच्छुक हूँ; और

ड.) मैं बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबन्धन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और पंजाब नैशनल बैंक (शेयर व बैठकें) विनियमन, 2000, भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना डीबीओडी सं० बीसी सं० 46 तथा 47/29-39.00/2007-08 दिनांक 1.11.2007 और डीबीओडी सं.बीसी.सं० 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.5.2011 भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं प्रभाग के पत्र संख्या एफ. सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 3.9.2013 और आंशिक गैर अधिकारिक निदेशकों के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों पत्र सं. 16/17/2010-बीओआई दिनांक 13.10.2011, 1.06.2011 के अनुसार और इसके लिए अनुवर्ती संशोधनों के तहत बैंक का/की निदेशक होने के अयोग्य नहीं हूँ और

च) मैं कोई लाभ का पद धारित नहीं करता हूँ या न ही किसी राष्ट्रीयकृत अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (1) के तहत गठित भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में यथापरिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का/की कर्मचारी हूँ और

छ) मैं अपना व्यक्तिगत विवरण संलग्न कर रहा/रही हूँ जो मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है और

ज) मैं इस घोषणा के बाद होने वाले परिवर्तन से, जो इससे पहले दी गई सूचना से संबंधित हों और बैंक में निदेशक के पद पर मेरे चयन हेतु प्रसंविदा विलेख के निष्पादन के लिए अपेक्षित हों, यथासंभव शीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/ डीपीआईडी- सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए।

मोहर सहित हस्ताक्षर तथा -----

प्रतिहस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम -----

नोट - घोषणा पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आस्थासन संबंधी रजिस्ट्रार अथवा उप-रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक या पंजाब नैशनल बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष मोहर सहित होने चाहिए।

* जो लागू न हो उसे काट दें।

h) I undertake to keep the Bank informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me

Signature with Seal and _____

Name of the attesting official _____

Note: The declaration must be signed by the Candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances, or other Gazetted Officer or an Officer of Reserve Bank of India or Punjab National Bank or any other Nationalised Bank.

* Delete whichever is not applicable

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली 110607

नामांकन फार्म

क्रम सं.

(उम्मीदवार द्वारा)

(पीएनबी विनियमन के विनियम 65(डी) देखें)

प्रबन्ध निदेशक एवं सीईओ / कार्यपालक निदेशक

पंजाब नैशनल बैंक

7, भीखाएजी कामा प्लेस,

नई दिल्ली - 110 607

प्रिय महोदय,

निदेशक के चुनाव हेतु नामांकन

आपके दिनांक 17.11.2015 की सूचना के संदर्भ में, मैं..... पंजाब नैशनल बैंक का/की शेयरधारक, दिनांक 27.11.2015 को 2/-रुपए प्रत्येक के इक्विटी शेयरों का धारक, एतद्वारा श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी.....श्री/श्रीमती..... निवासी.....को 02.01.2016 को होने वाली शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक में, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) के प्रावधान के अनुसार शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए एतद्वारा नामांकित करता/करती हूँ।

हस्ताक्षर	
नाम	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो/डीपीआइडी-सीएलआईडी	
स्थान :	
दिनांक :	

टिप्पणियां

1. निगमित निकाय द्वारा नामांकन किए जाने की स्थिति में, नामांकन प्रपत्र के साथ निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प जिस पर उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर हों, जिसमें इसे पारित किया गया, की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए।
2. प्रत्याशी को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षरों से मिलते हों।
3. यदि उपर्युक्त कालमों में से किसी को खाली छोड़ा गया या विवरण गलत पाया गया तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

PUNJAB NATIONAL BANK

Head Office: 7, Bhikhaji Cama Place, New Delhi 110607

NOMINATION FORM

Sl.No.

(by the Shareholder)

(Refer Regulation 65(d) of the PNB Regulations)

To

The Managing Director & CEO/Executive Director,

PUNJAB NATIONAL BANK

7, Bhikhaji Cama Place,

New Delhi 110607

Dear Sir,

Nomination for Election of a Director

With reference to your Notice dated 17/11/2015, I _____ a shareholder of Punjab National Bank, holding _____ equity shares of Rs. 2/- each on 27.11.2015 do hereby nominate Shri/Smt _____ son/daughter/wife of Shri _____ residing at _____

for being elected as a Director of Punjab National Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970, at the Extraordinary General Meeting of the shareholders to be held on 02.01.2016.

Signature	
Name	
Number of Shares	
Regd. Folio/DPID-CLID	
Place	
Date	

Notes :

1. In case nomination is made by a Body Corporate, the nomination form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
2. Signatures of the shareholders nominating the candidates should match with the specimen signatures available with Share Transfer Agent of the Bank.
3. If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

पंजाब नैशनल बैंक

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110607

व्यक्तिगत सूचना

(-----2015 की स्थिति अनुसार संलग्नकों सहित)

घोषणा एवं वचनपत्र

I		प्रत्याशी का व्यक्तिगत विवरण	
	क	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)	
	ख	जन्मतिथि	
	ग	शैक्षिक योग्यता	
	घ	संबंधित पृष्ठभूमि एवं अनुभव	
	ड.	स्थायी पता	
	च	वर्तमान पता	
	छ	ई-मेल आईडी/टेलीफोन नम्बर (लैंडलाइन/मोबाइल)	
	ज	आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता संख्या और आयकर सर्कल का नाम एवं पता	
	झ	सम्बद्ध ज्ञान एवं अनुभव (बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3-ए) देखें)	
	ण	बैंक के निदेशक-पद से संबंधित अन्य कोई जानकारी	
II		प्रत्याशी के सम्बन्धियों का विवरण	
	क	बैंक के साथ किसी भी रूप में सम्बद्ध रिश्तेदार, यदि कोई हों, का ब्यौरा (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 देखें)	
	ख	ऐसी संस्थाओं की सूची, यदि कोई है, जिनमें उसे हितबद्ध समझा जाता है (कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 देखें)	
	ग	ऐसी संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रत्याशी को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एन ई) के अर्थ के दायरे में महत्वपूर्ण हित धारित करने वाला समझा जाता है। (प्रस्तावित एवं मौजूदा)	
	घ	बैंक का नाम जिसमें वह निदेशक मंडल का सदस्य है	

PUNJAB NATIONAL BANK

Head Office: 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

PERSONAL INFORMATION

(With enclosures as appropriate as on ____, 2015)

DECLARATION AND UNDERTAKING

I.		Personal details of the candidate	
	A	Name in Full (in block capital letters)	
	B	Date of Birth	
	C	Educational Qualifications	
	D	Relevant Background and experience	
	E	Permanent Address	
	F	Present Address	
	G	E-mail address/ Telephone Number (Landline/Mobile)	
	H	Permanent Account Number (under the Income Tax Act) and Name and address of Income Tax Circle	
	I	Relevant Knowledge & Experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970)	
	J	Any other information relevant to Directorship of the Bank.	
II.		Relevant Relationships of the candidate	
	A	List of Relatives, if any, who are connected with the Bank in any way (Refer Section 2 of the Companies Act, 2013)	

		अथवा रहा है (उस अवधि का ब्यौरा दें जिस दौरान आप उस पद पर रहे) ।	
	ड.	उसके द्वारा और/अथवा उपरोक्तानुसार - ॥ (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं जिनका इस समय लाभ उठाया जा रहा है ।	
	घ	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां उम्मीदवार अथवा उपरोक्तानुसार - ॥ (ख) एवं (ग) में दर्शायी गयी संस्थाओं द्वारा पंजाब नेशनल बैंक अथवा अन्य किसी बैंक से ली गई ऋण सुविधाओं के संबंध में चूककर्ता हो या चूककर्ता रहा है ।	
III		व्यावसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड	
	क	संबंधित व्यावसायिक उपलब्धियां	
IV		प्रत्याशी के खिलाफ कार्यवाहियां, यदि कोई हों	
	क	यदि प्रत्याशी व्यावसायिक संस्था/निकाय का सदस्य है और उसके खिलाफ यदि कोई अनुशासनिक कार्रवाई लम्बित हो अथवा आरम्भ की गयी हो अथवा विगत में उसे दोषी ठहराया गया हो अथवा उसे किसी भी समय किसी व्यवसाय/कारोबार शुरू करने के लिए प्रतिबंधित किया गया हो, का विवरण दें ।	
	ख	निदेशक और/अथवा उपर्युक्त ॥ (ख) एवं (ग)2 में सूचीबद्ध किसी इकाई के खिलाफ आर्थिक नियमों और विनियमों के लिए विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध हुए अभियोजन, यदि कोई हो, का विवरण	
	ग	प्रत्याशी के खिलाफ विगत में लम्बित अथवा शुरू किए गए अथवा दोष सिद्ध आपराधिक अभियोजन, यदि कोई हों, के विवरण	
	घ	क्या प्रत्याशी को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य ठहराया गया है?	
	ड.	क्या प्रत्याशी अथवा उपर्युक्त ॥ (ख) एवं (ग) में दी गई किसी इकाई की सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के निर्देश पर कोई जांच की गई है ।	
	घ	क्या प्रत्याशी को कभी/सीमा शुल्क/आबकारी/आयकर/विदेशी मुद्रा विनियम/ अन्य रेवेन्यू प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/कानूनी	

	B	List of entities if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 184 of the Companies Act, 2013).	
	C	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed & existing.	
	D	Name of Bank in which he/she is or has been a member of the board (giving details of period during such office was held)	
	E	Fund and non-fund facilities, if any, presently being enjoyed by him/her and/or by entities listed in II(B) and (C) above from the Bank.	
	F	Cases, if any, where the candidate or entities listed at II (B) & (C) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the Bank or any other bank.	
III.		Records of Professional Achievements	
	A	Professional achievements relevant	
IV.		Proceedings, if any, against the Candidate	
	A	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of at any profession/occupation at any time.	
	B	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the director and/or against any of the entities listed in II (B) & (C) 2, above for violation of economic laws and regulations.	

		अपेक्षाओं के उल्लंघन का दोषी ठहराया गया है, यदि हां तो विवरण दें ।	
	छ	क्या किसी नियामक संस्था जैसे कि सेबी, आईआरडीए, डीसीए इत्यादि द्वारा प्रत्याशी/निदेशक के खिलाफ कभी कुछ प्रतिकूल पाया गया है । (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह ऐसे आदेशों एवं निष्कर्षों के कॉलम का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पलट दिया गया है/पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है, फिर भी उसके लिए यह बताना आवश्यक होगा, यदि निर्णय का पलटा जाना/समाप्त किया जाना अधिकार क्षेत्र की कमी परिसीमन आदि कारणों से हो तथा गुण-दोष के आधार पर न हो । यदि नियामक के आदेश पर अस्थायी रूप से रोक लगायी गयी हो तथा अपीलीय/न्यायालय संबंधी कार्रवाई विचाराधीन हो तो, उसका उल्लेख भी किया जाना चाहिए)।	
V		मद संख्या । से III के संबंध में, कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना और अन्य कोई जानकारी जो, 'सक्षम एवं उपयुक्त' स्थिति का निर्णय लेने के लिए संगत हो ।	

C	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the candidate.	
D	Whether the candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013.	
E	Has the candidate or any of the entities at II (B) & (C) above been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
F	Has the candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/legislative requirements by customs/ excise/income tax/foreign exchange/other revenue authorities; if so give particulars.	
G	Whether the candidate/director had at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V	Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'fit and proper'.	

वचनपत्र

मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि उक्त सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सही एवं पूर्ण है। उक्त दी गई सूचना में मेरी नियुक्ति के पश्चात होने वाले परिवर्तनों की जानकारी मैं यथाशीघ्र बैंक को अवगत करवाने का वचन देता/देती हूँ। बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित की जाने वाली अपेक्षित प्रतिज्ञा पत्र को निष्पादित करने का भी मैं वचन देता/देती हूँ।

स्थान :

दिनांक :

प्रत्याशी के हस्ताक्षर

VI. नामांकन समिति की टिप्पणियाँ

--

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

सदस्य का नाम

सदस्य का नाम

सदस्य का नाम

Undertaking

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the deed of covenant required to be executed by all directors of the Bank.

Place :

Date :

Signature of the Candidate

VI. Remarks of the Nomination Committee :

--

Place

Date _____

Signature

Signature

Signature

Name of Member

Name of Member

Name of Member

पंजाब नैशनल बैंक
प्रधान कार्यालय, 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110607

फार्म - "बी"
प्रॉक्सी फार्म
 (शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षर किया जाए)

पंजीकृत फोलियो सं०(मूर्त शेयरों के लिए)	
डीपीआईडी सं. ग्राहक आईडी सं०(अमूर्त शेयरों के लिए)	
शेयरों की सं०	

मैं/हम _____राज्य _____के जिला _____का/की/के निवासी _____
 _____ पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्वारा _____ राज्य के _____
 _____जिला _____के निवासी श्री/श्रीमती _____को अथवा उनके
 उपस्थित न हो सकने पर _____राज्य के जिला _____के निवासी _____
 _____श्री/श्रीमती _____को 02.01.2016 समय प्रातः 10.00 बजे
 पंजाब नैशनल बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में जो पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ
 कॉलेज, 8, अंडर हिल रोड, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 में आयोजित होगी तथा इसके अधिस्थगन में मेरी/हमारी ओर
 से मेरे/हमारे लिए मत देने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करता हूँ/ करती हूँ/करते हैं ।

रसीदी
टिकट

_____ माह के _____दिन, 2015 को हस्ताक्षरित। प्रथम धारक/ एकल शेयरधारक के हस्ताक्षर

प्रॉक्सी के हस्ताक्षर

प्राक्सी फार्म पर हस्ताक्षर करने एवं प्रस्तुत करने हेतु अनुदेश

1. प्राक्सी दस्तावेज तभी वैध होगा, जब
- क) वैयक्तिक शेयरधारक के मामले में उसके द्वारा या उसके अटर्नी द्वारा लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।

FORM 'B'

FORM OF PROXY

(To be filled in and signed by the shareholder)

Regd. Folio No. (If not Dematerialised)	
DPID No. Client ID No. (If Dematerialised)	
No of shares.	

I/We, _____ resident/s of _____ in the district of _____ in the state of _____ being a shareholder/s of Punjab National Bank, hereby appoint Shri/Smt. _____ resident of _____ in the district of _____ in the state of _____ or failing him/her, Shri/Smt. _____ resident of _____ in the _____ district of _____ in the state of _____ as my/our proxy to vote for me/us and on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank to be held on **02.01.2016, at 10.00 a.m., at Punjab National Bank Auditorium, Central Staff College, 8, Underhill Road, Civil Lines, Delhi – 110054** and at any adjournment thereof.

Revenue
Stamp

Signed this _____ day of _____, 2015.

Signature of sole/first holder

Signature of the Proxy _____

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 - a. in case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/her attorney duly authorised in writing,
 - b. in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the Register of Shareholders or by his/her attorney duly authorised in writing,

- ख) संयुक्त धारकों के मामले में सदस्य रजिस्टर में पहले नाम पर शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे या उसके अटर्नी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किया जाएगा ।
- ग) निगमित निकाय के मामले में उसके अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसकी कॉमन सील, यदि हो, के तहत निष्पादित किया जाएगा अथवा इसके लिखित में विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।
- घ) विधिवत् स्टाम्पित फार्म 'बी' में होगा
2. प्राक्सी दस्तावेज जिस पर शेयरधारक द्वारा अंगूठे का निशान लगाया गया है, तभी वैध माना जाएगा जब इसे किसी जज, मैजिस्ट्रेट, आश्वासन रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार द्वारा या किसी अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी द्वारा या पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो ।
 3. प्राक्सी जिसके साथ में
 - क. पॉवर ऑफ अटर्नी या प्राधिकार पत्र (यदि हो तो) जिसके अन्तर्गत इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं या
 - ख. उक्त पॉवर ऑफ अटर्नी या प्राधिकार पत्र की प्रति जिसे नोटरी या मैजिस्ट्रेट द्वारा अधिप्रमाणित किया गया हो, असाधारण आम बैठक की तिथि से कम से कम 4 दिन पहले को कार्यालय समय की समाप्ति अर्थात् दिनांक 28.12.2015 सायं 5.00 बजे से पहले शेयर विभाग, वित्त प्रभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्र0का0 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 में जमा करवा दिया जाए ।
 4. यदि संबंधित मुख्तारनामा पंजाब नैशनल बैंक में या इसके शेयर हस्तांतरण एजेंट के पास पहले से पंजीकृत है तो मुख्तारनामे में पंजीकृत संख्या और पंजीकरण की तिथि का उल्लेख किया जाए।
 5. बैंक के पास जमा प्राक्सी प्रपत्र अविकल्पी और अंतिम होगा ।
 6. यदि प्राक्सी प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो लोगों के पक्ष में मंजूर किया गया हो तो एक से अधिक प्राक्सी को निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
 7. जिस शेयरधारक ने प्राक्सी प्रपत्र को निष्पादित किया है, वह उस बैठक में, जिससे ये प्रपत्र संबंधित है, उपस्थित होकर मतदान करने का हकदार नहीं होगा ।
 8. इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा । ऐसे में प्राक्सी, प्रदाता की ओर से उपस्थित हो सकेगा और वोट दे सकेगा।
 9. कोई व्यक्ति पंजाब नैशनल बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी नियुक्त नहीं कर सकता है ।

- c. in the case of a body corporate, it is signed by its officer and executed under its Common Seal, if any, or otherwise signed by its attorney duly authorised in writing.
 - d. shall be in the Form B and duly stamped.
- 2. An instrument of proxy, in which the thumb impression of the shareholder is affixed, will be valid provided it is attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or any other Government Gazetted Officer or an officer of Punjab National Bank.
- 3. The proxy together with:
 - a. the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed or
 - b. a copy of that power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the Finance Division, Share Department, Punjab National Bank, Head Office : 5, Sansad Marg, New Delhi – 110 001 not later than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting, i.e. on or before **closing hours i.e. 5.00 p.m. of 28.12.2015.**
- 4. In case the relevant power of attorney is already registered with Punjab National Bank or its Share Transfer Agent, the registration number of the power of attorney and the date of such registration may be mentioned.
- 5. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- 6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
- 7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.
- 8. The proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting but such proxy can attend & vote on behalf of the grantor.
- 9. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Punjab National Bank.

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110 607

उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पास-सह-मतपत्र पास

असाधारण आम बैठक, शनिवार 02 जनवरी, 2016 समय प्रातः 10.00 बजे

पंजाब नैशनल बैंक ऑडिटोरियम, केन्द्रीय स्टाफ कॉलेज, 8, अंडरहिल रोड, सिविल लाइन्स, दिल्ली 54

उपस्थिति पर्ची

(उपस्थिति के पंजीकरण के समय सुपुर्द करने हेतु)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110 607

असाधारण आम बैठक, शनिवार 02 जनवरी, 2016 समय प्रातः 10.00 बजे

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखना है)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

बैठक हॉल में प्रवेश के लिए शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पास को बैठक कक्ष में उपस्थिति के समय विधिवत् हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करें। प्रवेश पास वाला भाग शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को लौटा दिया जाएगा, जिसे उन्हें बैठक समाप्त होने तक अपने पास रखना चाहिए। मतपत्र प्राप्त करने के लिए मतपत्र पास का हिस्सा वापस देना होगा। किसी भी स्थिति में डुप्लीकेट उपस्थिति पर्ची - सह - प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा।

पंजाब नैशनल बैंक Punjab National Bank

प्रधान कार्यालय : 7, भीखाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली, 110 607

असाधारण आम बैठक, शनिवार 02 जनवरी, 2016 समय प्रातः 10.00 बजे

मतपत्र पास

(मतपत्र प्राप्त करते समय पोलिंग काउंटर पर सुपुर्द करने हेतु)

नाम स्पष्ट अक्षरों में (सदस्य/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि)	पंजीकृत फोलियो/डीपीआईडी/ग्राहक आईडी सं०	शेयरों की संख्या
शेयरधारक/प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर		

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS-CUM-BALLOT PAPER PASS

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, SATURDAY, 2ND JANUARY 2016 AT 10.00 A.M.
AT PNB AUDITORIUM, CENTRAL STAFF COLLEGE, 8, UNDERHILL ROAD, CIVIL LINES, DELHI-54**

ATTENDANCESLIP

(To be surrendered at the time of registration of attendance)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, SATURDAY, 2ND JANUARY 2016 AT 10.00 A.M.

ENTRY PASS

(To be retained throughout the meeting)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		

Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to produce Attendance-slip-cum-Entry pass duly signed, for admission to the meeting hall. The Entry pass portion will be handed back to the shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting. The Ballot Paper Pass portion shall be surrendered to obtain Ballot Paper. Under no circumstances, any duplicate Attendance slip-cum-Entry pass will be issued.

PUNJAB NATIONAL BANK

HEAD OFFICE : 7, Bhikhaiji Cama Place, New Delhi 110607

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING, SATURDAY, 2ND JANUARY 2016 AT 10.00 A.M.

BALLOT PAPER PASS

(To be surrendered at the Polling Counters to obtain Ballot Paper)

NAME IN BLOCK LETTERS (Member/Proxy/Authorised Representative)	REGD.FOLIO/DPID&CLIENT ID No.	Number of Shares
Signature of Shareholder/Proxy/Authorised Representative		